

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत छोटे ग्रामों/टोलों/बसावटों जिसे अभी तक बारहमासी एकल सम्पर्कता प्राप्त नहीं है, की सूची तथा इसके लिए प्रस्तावित पथ की अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु भेजे गये अर्द्धसरकारी पत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी माननीय मंत्री महोदय के पदीय गरिमा का ध्यान नहीं रखते हुये सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शित नहीं करने के कारण बरती गयी शिष्टाचारविहीनता, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) को अधिसूचना संख्या-781-सह-पठित ज्ञापांक-782 दिनांक 20.04.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया निर्धारित किया गया।

2. मामले से संबंधित त्रुटिपूर्ण अर्द्धसरकारी पत्रों के आधार पर श्री भाटिया के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 950 अनु0 दिनांक 04.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तदालोक में श्री भाटिया के पत्रांक शून्य दिनांक 18.05.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मामले से संबंधित अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि निर्गत किये गये पत्र का प्रारूप उनके स्तर से अग्रसारित नहीं किया गया है। साथ ही श्री भाटिया के पत्रांक शून्य दिनांक 06.07.2023 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री भाटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने एवं गठित आरोप पत्र के आधार पर मामले की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त हुआ है।

4. उक्त आलोक में श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार) क्षेत्रीय प्रयोगशाला गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) को अधिसूचना संख्या-1659-सह-पठित ज्ञापांक-1660 दिनांक 01.08.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया है।

5. श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार) क्षेत्रीय प्रयोगशाला गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार) क्षेत्रीय प्रयोगशाला गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/8/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

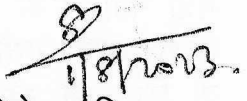
ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-01-59/2023

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य एवं संगत कागजात की प्रति के साथ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :- यथोक्त।

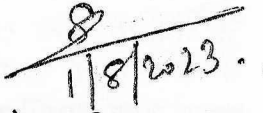

विशेष सचिव

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-01-59/2023

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना -सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री योगेन्द्र कुमार भाटिया, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार) क्षेत्रीय प्रयोगशाला गुलजारबाग (प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :- यथोक्त।


विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-01-59/2023

1670

/पटना, दिनांक :-

1-8-23

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

